उत्तर प्रदेश बिक्री-कर सरलीकरण समिति, 1977

का

अन्तिम प्रतिवेदन

---

28 नवम्बर, 1977

मुद्रक :

[illegible] मुद्रण तथा लेखन सामग्री (लखनऊ), उत्तर प्रदेश, भारत ।

1978

श्रीमती शकुन्तला नायर,

संस्थागत वित्त राज्य मंत्री,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश में बिक्री-कर सम्बन्धी वर्तमान प्रणाली की जटिलताओं को देखते हुए शासन ने एक समिति गठित की जिसका कार्य इस प्रणाली को सरल बनाने के लिए सुझाव देना था। समिति में साधारण जनता के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त व्यापारिवर्ग के सदस्य भी मनोनीत किए गए थे। साथ ही, उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि को भी समिति में रखा गया था।

2--मुझे यह कहते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि सभी सदस्यों ने समिति के कार्य में अभूतपूर्व योगदान दिया और यही कारण है कि समिति की सभी संस्तुतियां, जिनकी संख्या 100 से अधिक है, सर्व-सम्मति से की गई हैं। समिति के सदस्यों के अथक परिश्रम के परिणाम-स्वरूप ही यह रिपोर्ट तीन माह के अंदर तैयार हो सकी है। कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर समिति ने अपने सुझाव तीन सप्ताह में ही अन्तरिम प्रतिवेदन के रूप में शासन को प्रस्तुत कर दिए थे। आज इस सम्पूर्ण प्रतिवेदन को शासन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मैं उन सभी सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूं जिन्होंने समय की आवश्यकताओं को समझते हुए समिति के कार्य को पूरा करने के लिए अपना समय और अनुभव दोनों ही उदारता-पूर्वक दिए हैं। उन अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति भी मुझे आभार व्यक्त करना है जिन्होंने समिति के सदस्य न होते हुए भी विभिन्न पहलुओं पर विधि एवं नियम सम्बन्धी वर्तमान स्थिति से समिति को अवगत कराने के लिए भरसक प्रयास किया है। सचिवालय के बिक्री-कर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी इस रिपोर्ट को समय से तैयार करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

3--मुझे आशा है कि यह रिपोर्ट शासन के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस रिपोर्ट को तैयार करते समय यह ध्यान में रखा गया है कि राजस्व प्राप्तियों में किसी प्रकार की कमी न हो और व्यापारिवर्ग को अपना कर अदा करने में कम से कम कठिनाई हो। मुझे आशा है कि शासन स्तर पर इस रिपोर्ट पर शीघ्र विचार करके इसमें की गई संस्तुतियों को अविलम्ब कार्यान्वित करने के लिए उचित कदम उठाए जायेंगे।

शकुन्तला नायर।

विषय-सूची

पृष्ठ

1--प्रस्तावना 1

संस्तुतियां

भाग "क"– विधि तथा प्रक्रिया से संबंधित

2--न्यूनतम कर-योग्य विक्रय-धन सीमा एवं व्यापारियों का पंजीकरण .. 2
3--विवरण पत्रों का प्रस्तुतीकरण एवं कर का भुगतान .. 3
4--विभिन्न प्रपत्रों की पूर्ति एवं प्रस्तुतीकरण 4
5--लेखों का अस्वीकरण तथा श्रेष्ठतम विवेक से कर निर्धारण .. 5
6--अस्थायी कर-निर्धारण 7
7--विक्रय-धन में कुछ मदों का सम्मिलित न किया जाना .. 7
8--माल वापसी का लाभ 7
9--निस्तारित वादों का पुनः खोलना 8
10--कालबाधित होने की समयावधि 8
11--विभिन्न प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण 8
12--अर्थदण्ड 8
13--बकाया वसूली 9
14--स्थगन तथा किस्तें 10
15--अपील 10
16--पुनरीक्षण 11
17--न्यायाधिकरण 12
18--सर्वेक्षण 12
19--व्यापारियों का प्रतिनिधित्व 13
20--शुल्क 13
21--रिफंड 13
22--चेकपोस्ट 14
23--विशेष अनुसंधान शाखा 16
24--भ्रष्टाचार तथा उत्पीड़न पर रोक 16
25--कार्यालय भवन तथा आवास गृह 17

भाग "ख"–कर की दरों से संबंधित

26--बिक्री-कर की दरें 17
27--कतिपय बिक्रियों पर कर की विशेष दरें 20
28--कतिपय संव्यवहारों पर क्रय-कर 21
29--अधिनियम, नियम तथा दरों के परिवर्तनों का प्रचार 21
30--उद्योगों को राहत 22
31--लाइसेन्स प्रणाली 24
32--परिशिष्ट 26